

स विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शा.प.प.
किया गया। वास्ते पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत
दिनांक 17-8-23 को पेश हो

17/8/23

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, वकील
वादी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील
वादी ने वाद पत्र की स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ
की।

मैंने पत्रावली का अपलोकन किया तथा प्राप्त विभाजन
स्कीम पर मनन किया गया। म.य.वि. में प्राप्त विभाजन
स्कीम के अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया
जाकर डिवी बहस वादी वि.क. उ.ति.वा.दी संख्या 04
लगायत 03 में इस भाष्य की जारी की जाती है।
कि ग्राम बलईखेड़ा पंचवार हल्का माण्डल उपम
तहसील माण्डल में स्थित निम्नोक्ति अराजियत
विभाजन अनुसार वादी एवं उ.ति.वा.दी संख्या
04 लगायत 03 के नाम हिस्से अनुसार भूमि को
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। विभाजन के अनुसार भूमि वादी एवं उ.ति.वा.दी
सं. 04 लगायत 03 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज
की जावे।

1. श्री प्रभुलाल जोगी नाना लाल बलई निवासी -
बटा शंशौला तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा
सा.दे. खातेदार

आराजी नं०

रकबा

3053/3

0-0695 हैक्टर



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

2. भवैर, शंकर, S/O श्री हीतर रेग्गर, श्रीमती रेकुण्ठो
श्री हीतर रेग्गर निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल
सा. देह खातदार

आराजी नं० रेकवा

3053/4 - 0.0696 हॅक्टेयर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सेरखा
01 लगायत 03 के नाम एक हिस्सेनुसार राजस्व
रिकार्ड में दर्ज करें। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार
डिक्ली धारी हों। स्वर्चा फरिक्केन अपना-
अपना वहम करें। पत्रावली फंसल शुमार
होकर दफ्तर कारखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री हुकमीचन्द्र शेखानिया (आ००१०१००)

अन्वान प्रकरण

श्री प्रभु लाल श. श्री नानालाल बलाई निवासी - बडा शंशौला
तहसील - माण्डलगढ़ जिला - भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. श्री भोपर श. श्री कितर रेगार निवासी - रेगार मोहला भांडल त. भांडल
2. श्रीमती रेकु श. श्री कितर रेगार
3. श्री शंकर श. श्री कितर रेगार
4. शापस्थान राज्य परिषद तहसीलदार शा. भांडल तहसील - भांडल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53 मुकदमा नं० / वर्ष 63/22 निर्णय दिनांक 17-08-23

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी
भिनजानिव मुददई व श्री वाबुलाल आचार्य अलाभिव मुदावला पेश होकर हुकम

दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री
वहस्य वादी विकट प्रतिवादी सं. 01 लगायत 03 मे स्ल आशय कीजारी की जाती
है कि ग्राम बलाई खेड़ा पटवार हल्का माण्डल I तहसील - भांडल में स्थित निम्न
कित आराजियात विभाजन अनुसार वादी ऐव प्रतिवादीगण 01 लगायत 03
के माम हक हिस्सेनुसार भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

1. श्री प्रभु लाल श. श्री नानालाल बलाई निवासी - बडा शंशौला तहसील
माण्डलगढ़ जिला - भीलवाड़ा (रा०) सा. डेह खातेदार
आराजी नं. रकबा
3053/3 0.0695 हेक्टर

आज तारीख 17-08-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

2. भवंर, शीकर सोनी हितर रेगर, श्रीमती टेकू पण्डी हितर रेगर निवासी -
रेगर मोहल्ला माण्डल तहसील - माण्डल सा-देहखातेदार

आराजी नं०

रकबा

3053/4

0.0696 हॅक्टैयर

उक्तानुसार मूअमि वादी एंव प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के
नाम हक टिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। तहसीलदार
माण्डल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे।
खर्चा फरिक्तेन अपना - अपना वहज करे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा